अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवंबर, 2015

का. आ.3060(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 549 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री अपंग अभ्युदय मंडल, सोला गांधी नगर हाईवे, न्यू हाई कोर्ट-सोला के सामने, अहमदाबाद" द्वारा "गांव सोला, दसक्रोई तालुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में विद्यालय, छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर हेतु बिल्डिंग का निर्माण" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 570(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 782(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1824(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 851(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1088(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1824 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 32.47 लाख रूपए से बढ़ाकर 100.00 लाख रूपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 17 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''श्री अपंग अभ्युदय मंडल, सोला गांधी नगर हाईवे, न्यू हाई कोर्ट-सोला के सामने, अहमदाबाद'' द्वारा चलाई जा रही "गांव सोला, दसक्रोई तालुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में विद्यालय, छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर हेतु बिल्डिंग का निर्माण'' की परियोजना अथवा स्कीम को 100.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 250/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)